3641 to 4049
25.7.13 13.8.13

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 48/2013–14

श्री जीवछ पासवान बनाम बुधु पासवान। (1)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

आवेदक श्री जीवछ पासवान पे0– स्व0 जलधारी पासवान सा0– मझिगामा थाना– सदर द्वारा यह वाद पत्र दिनांक 17.04.2013 को फ्रैकिंग मशीन सं0– 3355 दिनांक 13.04.2012 के शुल्क के साथ दायर किया गया है। वादी द्वारा दायर पत्र को दिनांक 17.04.2013 को प्रतिग्रहित करते हुए विपक्षी श्री बुधु पासवान पे0– स्व0 दुःखी पासवान सा0– मझिगामा थाना– सदर को सूचना निर्गत रजिस्ट्री डाक द्वारा दिनांक 25.04.2013 को की गयी।

वादी द्वारा यह वाद निम्न वर्णित भूमि पर दायर किया गया है :–

खाता	खेसरा	रकवा
118	358	4 धुर 75 धुरकी
235	358	4 धुर 75 धुरकी
118	357,358	4 धुर 75 धुरकी
118	357,358	4 धुर 75 धुरकी
235	357	4 धुर 75 धुरकी
235	357	4 धुर 75 धुरकी

अभिलेख के अवलोकन तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात है कि विपक्षी दिनांक 08.06.2013 को अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि प्रष्नगत उपरोक्त भूमि इनलोगों को पर्चा द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि का जाली फरेबी कागजात बनवाकर उस भूमि को विपक्षी अपने कब्जा में ले लिया है।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है।

(1) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री जगदेव पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 235, खेसरा नं0– 357 रकवा– 4 धुर 75 धुरकी।

(2) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री बुधन पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 235, खेसरा नं0– 357 रकवा– 4 धुर 75 धुरकी।

13/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (2)	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	(3) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री लक्ष्मी पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 235, खेसरा नं0– 358 रकवा– 4 धुर 75 धुरकी। (4) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री जीवछ पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 118, खेसरा नं0– 358 मी0 रकवा– 4 धुर 75 धुरकी। (5) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री सोने पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 118, खेसरा नं0– 358,357 रकवा– 4 धुर 75 धुरकी। (6) वासगीत पर्चा अभिलेख सं0– 07/98–99 गोपी सिंह वल्द रघुवीर सिंह सा0– मझिगाम बनाम श्री मोती पासवान पे0– जलधारी पासवान जिसका खाता नं0– 118, खेसरा नं0– 357,358 रकवा– 3.75+1.00= 4 धुर 75 धुरकी। विपक्षी द्वारा अपने बयान तहरीर जो दिनांक 08.06.2013 को प्रस्तुत किया है। उसका अनुशीलन करने से यह बात प्रकाश में आती है कि विवादित भूमि का विवरण जो वादी द्वारा दिया गया है वह इनको दिये गये पर्चा में वर्णित मौजा थाना नम्बर विवादित भूमि से भिन्न है। वासगीत पर्चा के मुताबिक पूराना खाता नं0 235 खेसरा नं0 357 का मूल रकवा 11 धुर 25 धुरकी होना बताया गया है। तथा शेष रकवा पूराना खेसरा नं0 358 का दर्शाया गया है जिससे विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। खाता नं0 235 खेसरा नं0 357 रकवा 14 डी0 का पूराना सर्वे खतियान वकास्त मालिक दर्ज है जिसमें से 02 कट्टा 04 धुर जमीन किराई मण्डल पिता बचकून मण्डल को वजरिये बन्दोवस्ती फसली साल 1346 यानि 1939 में हासिल हुआ जिसपर किराई मण्डल दखलकार रहते आये जिसका हाल सर्वे खतियान खिराई मंडल के नाम से दर्ज होना बताया गया है। जिसका खाता नं0 28 डी0 एवं खेसरा नं0 549 रकवा 11 डी0 एवं खेसरा नं0 554 रकवा 04 डी0 यानि कुल रकवा 15 डी0 बना जिसके वारिसान महेन्द्र मण्डल वो कैलाश मण्डल वो जय मण्डल वो गणेश मण्डल जो खिराई मण्डल के पोतारान भू–स्वामी से विपक्षी ने दिनांक 15.05.2012 को वजरिये केवाला द्वारा रकवा 01 कट्टा 10 धुर भुमि खरीद किया तथा दखल कब्जा में चला आ रहा है। वाद में विपक्षी द्वारा अभिरूचि नहीं लेने की स्थिति में वाद की एकपक्षीय सुनवाई हेतु दिनांक 24.07.2013 को निर्धारित की गयी तथा उक्त वाद की एकपक्षीय सुनवाई दिनांक 25.07.2013 को की	

13/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (3)	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	गयी। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विज्ञ अधिवक्ता को सूनने से यह ज्ञात होता है कि वादियों को प्रश्नगत भूमि वजरिये B.P.P.H.T. पर्चा वाद सं0– 7/98–99 के द्वारा प्राप्त होना बताया गया है। उक्त पर्चा वर्ष 1998–99 में वादियों को दिया गया है। तथा इतनी अवधि बीत जाने के बाद आजतक इनलोगों के द्वारा उस पर्चा के भूमि का दाखिल खारिज भी नहीं करवाया गया है। साथ हीं साथ छः व्यक्यिों को जो पर्चा निर्गत किया गया है उस सभी पर्चा का नम्बर एक ही है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि वे इन सभी पर्चा का सत्यापन अंचल में संघारित अभिलेख से करने के पश्चात् अगर पर्चा सही हो तो विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पर्चा में वर्णित चौहद्दी के अनुरूप दखल कब्जा वादी को दिलाना सुनिश्चत करेंगें। वादी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना सभी मूल पर्चा अंचल अधिकारी सदर के समक्ष इस आदेश के साथ प्रस्तुत करेंगें। **लेखापित एव शुद्धित** 13/09/13 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा। 13/09/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	